

16/3/21

प्रा. पत्र का शर इस प्रकार है कि  
ब्लक 20 KHM B के मु.न 179/21 के  
खिला न. 18 ता 20 के खातेदार


विश्वनाथ प्र. केराम ता. 21 उक्त  
तीन खिलों में 04-04 बिस्वा भूमि सैंडर  
की थी ताकि खिला. न. 16, 17 के  
खातेदार मोहनराम प्र. धुजाराम को  
अपनी मारजी तक पहुँच करे



रिकार्डें शस्ता उपलब्ध हो सकें. तहसीलदार  
द्वारा समर्पण के बाद उक्त भूमि का अंकन  
आराजी रज के तौर पर कर दिया है - क्र.नं.  
18/1, 19/3 और 20/7 (4 लिस्टा पुत्पेक).

पार्सी मोहनराम उक्त जमीन का अंकन गौ. मु.  
शस्ते के तौर पर करवाना चाहता है। इस बाबत  
तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई. तहसीलदार  
रिपोर्ट के मुताबिक किशनाराम द्वारा क्र.नं. 18, 19, 20  
में 04-04 लिस्टा भूमि इसी मकसद से समर्पित की गई  
थी कि मोहनराम के खेत तक शस्ता कापय हो सके.  
उक्त समर्पित खेता मोहनराम को काशत तक पहुँचाने  
का रकबा शस्ता है.

अतः अदालत का फैसला है कि क्र.नं.  
18/1, 19/3 और 20/7 को राजस्व रिपोर्ट में  
गौर. मुसकल शस्ते के तौर पर दर्ज किया जाना  
उचित है. तहसीलदार खाजूवाला इस आदेश  
के मुताबिक आमल दरामद करें

  
उपखण्ड अधिकारी  
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)